

उत्तर प्रदेश में कनिनर कल्याण बोर्ड गठति

चर्चा में क्यों?

सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गए एक नरिणय के आलोक में हाल ही में **उत्तर प्रदेश सरकार** ने **कनिनर कल्याण बोर्ड का गठन** कथिा है, जसिके द्वारा कनिनरों की आवश्यकताओं एवं समस्याओं पर काम करते हुए नीतगित एवं संस्थागत सुधारों के लथिे सरकार को सुझाव दथिा जाएगा ।

प्रमुख बढिु

- उत्तर प्रदेश **कनिनर कल्याण बोर्ड कुल 23 सदस्यीय संस्था** है । इसकी संरचना नमिन प्रकार है-
 - अध्यक्ष : समाज कल्याण मंत्री
 - उपाध्यक्ष : मुख्यमंत्री द्वारा नामति कनिनर समुदाय का सदस्य
 - सदस्य सचवि : नदिशक, समाज कल्याण वभिग
 - संयोजक : अपर मुख्य सचवि/प्रमुख सचवि
 - सदस्य प्रतनिधि : 5 कनिनर समुदाय के प्रतनिधि एवं 2 कनिनर समुदाय के लथिे कार्य करने वाले गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) के प्रतनिधि
 - पदेन सदस्य : वभिन्नि वभिगों के सचवि एवं लखनऊ पुलसि आयुक्त
- बोर्ड के **गैर-आधिकारिक सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्षों** का होगा तथा बोर्ड को **तीन महीने में एक बैठक करना ज़रूरी** होगा ।
- इसके अतरिकित नदिशक, सामाज कल्याण की अध्यक्षता में एक **कनिनर सहयोग इकाई** गठति की जाएगी, जो कनिनरों का डाटाबेस तैयार करने के साथ-साथ कनिनरों की समस्याओं को हल करने एवं नीतियों के करथिानवयन की समय-सीमा संबंधी रपिोर्ट शासन को सौंपने का कार्य करेगी ।
- साथ ही प्रत्येक ज़लि में ज़लिाधिकारी की अध्यक्षता में **13 सदस्यीय ज़लिा स्तरीय कनिनर सहायता इकाई** का गठन होगा, जसिकी **बैठक प्रत्येक महीने आयोजति** की जाएगी ।